सार-समाचार

राजवंशी के नेतृत्व में हुआ कम्बल वितरण

कोटा, (निसं)। नगर निगम कोटा दक्षिण के नेता प्रतिपक्ष विवेक राजवंशी ने अवगत कराया कि माननीय लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की प्रेरणा से कड़कड़ाती ठंड से बचाव के लिए नगर निगम कोटा दक्षिण/उत्तर में कचरा परिवहन के लिए ठेकेदारों द्वारा संचालित ट्रैक्टर ट्रॉलियों व टिपरों के चालकों और उनके सहायकों को दिनांक 15 जनवरी 2025 बुधवार को गुरुनानक सामुदायिक भवन, प्रशांति स्कूल के सामने महावीर नगर द्वितीय परिसर में कम्बल वितरण किये गये। इस अवसर पर वरिष्ठ भाजपा पार्षद गोपाल राम मण्डा, योगेश आहलूवालिया, विवेक मित्तल, भानू प्रताप सिंह गौड़, भाजपा के केशवपुरा मण्डल अध्यक्ष दीनू बंजारा, भाजपा कार्यकर्त्ता हेमन्त वर्मा, नगर निगम कोटा दक्षिण के आयुक्त अनुराग भार्गव एवं कई समाजसेवी उपस्थित रहे।

'सफाई कर्मचारियों की स्वास्थ्य जांच हो'

कोटा, (निसं)। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग की उपाध्यक्ष अंजना पंवार ने बुधवार को सफाई कर्मचारियों से जुड़े मुद्दों को लेकर सर्किट हाऊस कोटा में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में उन्होंने नगर निगम के अधिकारियों को सफाई कर्मचारियों की स्वास्थ्य जांच के लिए शिविर आयोजित करने तथा उनके आई कार्ड बनवाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आई कार्ड में ब्लड ग्रुप, ईएसआई नम्बर जैसी जानकारियां आवश्यक रूप से अंकित की जाएं। पंवार सफाई कर्मचारियों की सीनियरिटी लिस्ट जारी कर समय पर डीपीसी करवाने, अनुजा निगम के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराने की प्रक्रिया आसान करने, सफाई कर्मचारियों की बस्तियों में सामुदायिक भवन, पार्क जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने, अनुकम्पा नियुक्ति शीघ्र करने, सफाई कर्मचारियों के लिए स्पोर्ट्स वीक जैसे आयोजन कर उनमें छिपी प्रतिभा को आगे लाने जैसे निर्देश दिए।

पांच लाख की अफीम सहित दो तस्कर गिरफ्तार

■ मध्यप्रदेश से जम्मू ले जा रहे थे अफीम

कोटा, (निसं)। कोटा ग्रामीण की मण्डाना पुलिस टीम ने अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ कार्यवाही करते हुए नाकाबंदी के दौरान एक कार से 1 किलो 15 ग्राम अवैध मादक पदार्थ (अफीम) सहित दो तस्करों को गिरफ्तार किया है। पकड़ी गई अफीम का अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य 5 लाख बताया गया है।

कोटा ग्रामीण पुलिस अधीक्षक सुजीत शंकर ने बताया कि मादक पदार्थ तस्करों के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अभियान को सफल बनाने के लिए कोटा ग्रामीण के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रामकल्याण मीणा के निर्देशन में पुलिस उपाधीक्षक राजेश ढाका के सुपरविजन में मण्डाना थानाधिकारी अजय शर्मा के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया। टीम ने कार्यवाही करते हुए एक कार को जप्त कर 1 किलो 15 ग्राम अफीम सहित दो तस्करों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है।

मण्डाना पुलिस ने एक किलो अफीम सहित तस्कर पकड़े

मंडाना थानाधिकारी अजय शर्मा ने बताया कि अवैध मादक पदार्थ के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए कोटा-झालावाड़ हाईवे पर नाकाबंदी की गई। इस दौरान जम्मू नंबर की एक बोलेरो कार झालावाड़ की तरफ से आती हुई नजर आई। कार को रोककर चैकिंग की गई, तो कार में से 1 किलो 15 ग्राम अफीम बरामद हुई।

थानाधिकारी ने बताया कि अफीम बरामद होने पर कार में सवार जिला जम्मू-कश्मीर के अजीत सिंह नगर निवासी सिमरनजीत सिंह (24) एवं गजिन्दर सिंह (49) को एनडीपीएस एक्ट में गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि अफीम मध्यप्रदेश से जम्मू ले जा रहे थे। थानाधिकारी ने बताया कि पकड़ी गई अफीम की अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 5 लाख रूपये है। पकड़े गए दोनों आरोपियों ने पूछताछ की जा रही है।

मेमू ट्रेन को दिखाई हरी झंडी

कोटा, (निसं)। क्षेत्रीय जन प्रतिनिधियों, स्थानीय आमजनता की माँग एवं रेल मंत्रालय की सहमति उपरान्त रामगंजमंडी-भोपाल नई रेललाईन परियोजना के अंतर्गत नवनिर्मित घाटोली रेलवे स्टेशन तक कोटा-झालावाड़ सिटी मेमू ट्रेन तक विस्तार एवं नई स्पेशल मेमू ट्रेन का शुभारंभ मंगलवार रात को किया गया। कोटा-झालावाड़ सिटी मेमू ट्रेन के घाटोली स्टेशन आगमन पर विधायक मनोहर थाना गोविंद प्रसाद रानीपुरिया एवं विधायक अंता-मांगरोल कंवरलाल ने मेमू ट्रेन का संचालन करने क्रू का स्वागत किया एवं मेमू ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मेमू ट्रेन के उद्घाटन समारोह में स्थानीय आमजनमानस में अति उत्साह दिखा। नियमित विस्तारित मेमू ट्रेन-गाड़ी संख्या 61614 कोटा-घाटोली, कोटा से शाम 19.20 बजे प्रस्थान कर मध्यवर्ती स्टेशनों पर रूकते हुए घाटोली रात 22.45 बजे पहुँचेगी। वापसी में गाड़ी संख्या 61613 घाटोली-कोटा मेमू ट्रेन घाटोली से सुबह 04.45 बजे प्रस्थान कर मध्यवर्ती स्टेशनों पर रूकते हुए कोटा सुबह 08.20 बजे पहुँचेगी।

शिविर में 81 लोगों का मोतियाबिंद ऑपरेशन के लिए चयन

■ हरीश जे. भाटिया के जन्मदिन पर चिकित्सा शिविर आयोजित हुआ

कोटा, (निसं)। भाटिया एडं कम्पनी एवं विश्व सिंधी सेवा संगम कोटा चैप्टर के सौजन्य से बुधवार को स्व.हरीश.जे.भाटिया के जन्मदिन के अवसर पर एस.जी.एम. पब्लिक स्कूल मानस गांव कोटा में लेंस प्रत्यारोपण सहित निशुल्क मोतियाबिंद ऑपरेशन शिविर व सुधा मेडिकल कॉलेज, जगपुरा डॉक्टर द्वारा निशुल्क मल्टीस्पेशियलिटी चिकित्सा शिविर आयोजित किया। जिसमे निकटवर्ती 30 गांव के 354 ग्रामीणों ने जांच करवाई शिविर में 81 लोगों को मोतियाबिंद ऑपरेशन के लिए चयनित किया गया, जिनके लैंस प्रत्यारोपण सहित ऑपरेशन कोटा के वरिष्ठ नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुधीर गुप्ता द्वारा डॉक्टर सुधीर गुप्ता आई हॉस्पिटल नयापुरा, एमबीएस अस्पताल के सामने कोटा में किए जाएगे।

स्व.हरीश.जे.भाटिया के जन्मदिवस के उपलक्ष मे चिकित्सा शिविर का आयोजन।

कार्यक्रम में विश्व सिंधी सेवा संगम कोटा चैप्टर के अध्यक्ष प्रेम भाटिया, सचिव व निदेशक मीडिया किशन रतनानी, वरिष्ठ नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉ.सुधीर गुप्ता, पूर्व सचिव विमल परियानी, पूर्व कोषाध्यक्ष संतोष करमचंदानी, गुरमुखानंद महाराज सेवा समिति के सदस्य अशोक नंदवाना सहित अनेक कार्यकर्ता मौजूद थे। भाटिया एण्ड कम्पनी के निदेशक प्रेम भाटिया ने आये हुए सभी डॉक्टर्स एवं अतिथियों का आभार व्यक्त किया।

अवैध हथियार सहित आरोपी गिरफ्तार

कोटा, (निसं)। कोटा शहर की नान्ता पुलिस टीम ने गश्त के दौरान कार्यवाही करते हुए अवैध हथियार सहित एक आरोपी को गिरफ्तार किया है।

नान्ता थानाधिकारी नवल किशोर शर्मा ने बताया कि थाने के सहायक उप निरीक्षक जल सिंह मय जाप्ता इलाके में गश्त कर रहे थे इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि जय अम्बे आवासीय योजना से बड़गांव की तरफ जाने वाली सड़क के पास एक संदिग्ध व्यक्ति वारदात करने की फिराक में अवैध हथियार लेकर घूम रहा है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मुखबिर द्वारा बताए गए हुलिये के आधार पर खड़े हुए व्यक्ति को डिटेन किया और उसकी तलाशी लेने पर उसके पास से अवैध चाकू बरामद किया गया। पुलिस ने मौके पर ही आर्म्स एक्ट में कार्यवाही करते हुए आदर्श नगर निवासी दीपक (19) को गिरफ्तार कर लिया है।

दिनेश खटीक बने प्रदेश उपाध्यक्ष

कोटा, (निसं)। राजस्थान खटीक महासमाज प्रदेश पदाधिकारीयो की हुई नियुक्ति में कोटा के दिनेश खटीक को प्रदेश उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया हैं। समाज के राज्य स्तरीय संगठन में हाड़ौती से दिनेश खटीक का नाम प्रदेश उपाध्यक्ष पद पर आने के बाद समाज में उत्साह का माहौल है। राजस्थान खटीक समाज महा समिति में प्रदेश उपाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी देते हुए खटीक समाज महासमिति के संरक्षक पूर्व मंत्री बाबूलाल नागर ने शॉल ओढ़ा कर नियुक्ति पत्र दिया इस अवसर पर महासमिति के महासचिव राजेश नागोरा कोषाध्यक्ष कमल पहाड़िया वह कई पदाधिकारी उपस्थित रहे। प्रदेश उपाध्यक्ष पर हुई नियुक्ति के बाद दिनेश खटीक ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि इससे पूर्व उनका संभागीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई थी समाज के हित में उन्होंने किसी कार्य में कभी कोई कमी नहीं छोड़ी समाज को सामाजिक कार्यो के साथ शिक्षा के क्षेत्र में होने वाले जागरूकता कार्यक्रम समेत अन्य कार्यो को अभियान के तौर पर लेकर कार्य किया। महासमिति में उपाध्यक्ष पद पर मिली जिम्मेदारी के बाद दिनेश खटीक ने सभी का आभार व्यक्त किया, वही प्रदेश स्तर पर समाज के संगठन में हाड़ौती को प्रतिनिधित्व दिए जाने के बाद दिनेश खटीक को समाज की ओर से लगातार शुभकामनाएं मिल रही है।

कमला देवी के नेत्रदान से दो नेत्रहीनों को मिलेगी ज्योति

कोटा, (निसं)। कोटा शहर में नेत्रदान संकल्प करने के बाद मृत्युपरांत नेत्रदान करने की परंपरा बढ़ रही है। मकर संक्रांति के दिन शास्त्रीनगर दादाबाड़ी निवासी समाजसेविका कमला देवी दलाल का आकस्मिक निधन होने पर परिवार ने उनका नेत्रदान करवाकर परोपकार किया।

शाइन इंडिया फाउंडेशन के डॉ कुलवंत गौड़ ने बताया कि दादाबाड़ी में वरिष्ठ समाजसेवी मदनलाल दलाल की धर्मपत्नी कमला देवी का निधन होने पर पुत्र राजस्थान एसोसिएशन ऑफ स्पाइसेज 'रास' के प्रदेश महासचिव महावीर गुप्ता, वरिष्ठ हैंड सर्जन डॉ गिरीश गुप्ता, बहिन मंजू गुप्ता व निर्मला गुप्ता ने मां के नेत्रदान करने का निर्णय लिया। सूचना मिलने पर शाईन इंडिया फाउंडेशन के संयोजक डॉ कुलवंत गौड़ ने घर पहुंचकर कोर्निया प्राप्त किया। कड़ाके की सर्दी में संपन्न नेत्रदान के समय बड़ी संख्या में समाज सदस्य एवं परिजन उपस्थित रहे। डॉ. गौड़ ने बताया कि कमला देवी का कॉर्निया अच्छा पाया गया है जिसे आई बैंक जयपुर भिजवा दिया गया है जहां दो नेत्रहीनों को नई ज्योति मिल सकेगी। समाजसेविका कमला देवी 10 वर्षों तक श्री फलौदी महिला मंडल कोटा की अध्यक्ष रही। वर्तमान में संरक्षक के रूप में मातृशक्ति का मार्गदर्शन कर रही थी। गरीब परिवारों की सहायता करने वाली धार्मिक और मिलनसार कमला देवी के आकस्मिक निधन से समाज में शोक की लहर छा गई। कोटा समाज अध्यक्ष राधेश्याम बोबस, नवयुवक संघ अध्यक्ष पंकज मेडतवाल व महिला मंडल अध्यक्ष शारदा गुप्ता ने उनके निधन को समाज के लिए अपूरणीय क्षति बताया है।

दिव्यांशी का होगा सम्मान

कोटा, (निसं)। राजस्थान पुलिस सेवानिवृत्त कल्याण संस्थान, जिला कोटा द्वारा आगामी 25 जनवरी को आयोजित होने वाले संगठन के सम्भागीय अधिवेशन के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य अथवा विशेष उपलब्धि अर्जित करने वाले पेंशनर्स, सेवारत पुलिसकर्मियों तथा उनके पुत्र/पुत्री को भी सम्मानित किया जाएगा। संगठन के जिलाध्यक्ष तेजराज सिंह ने जानकारी दी है कि माह अगस्त, 2024 में ब्रुनेई में आयोजित ताइक्वांडो प्रतियोगिता में तृतीय स्थान अर्जित कर देश के लिए कांस्य पदक प्राप्त करने वाली दिव्यांशी (सुपुत्री शशिप्रभा, महिला कांस्टेबल, जिला कोटा शहर), जिला प्रशासन को देहदान का संकल्प पत्र प्रस्तुत करने वाले नवनीत महर्षि, पूर्व उपपुलिस अधीक्षक, पुलिस विभाग में प्राप्त होने वाले समस्त सम्मान उत्तम सेवा चिन्ह, अति-उत्तम सेवा चिन्ह, सर्वोत्तम सेवा चिन्ह, असाधारण कार्य पुरस्कार महाराणा मेवाड़ फाउण्डेशन, सराहनीय सेवाओं के लिए पुलिस पदक और विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक प्राप्त करने और वर्ष 2008 में पुलिस थाना मन्डाना को प्रदेश में सर्वश्रेष्ठ थाने का गौरव प्रदान करवाने वाले प्रदेश के एकमात्र अधिकारी सलाहउद्दीन सिद्दीकी, पूर्व पुलिस निरीक्षक, थाना किशोरपुरा को गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रदेश के सर्वश्रेष्ठ थाने का गौरव प्रदान करवाने वाले तत्कालीन थानाधिकारी राम स्वरूप मीणा, हेड कांस्टेबल अब्दुल कय्यूम तथा धर्मेंद्र यादव का गठित समिति की अनुशंसा पर अभिनंदन करन का निर्णय लिया गया है।

सिसोदिया का किया अभिनन्दन

कोटा, (निसं)। कोरल पार्क क्षेत्र में निर्मल पार्क स्थित यू.पी. रेजिडेंसी हॉस्टल में भाजपा के वरिष्ठनेता एवं अनेकों संगठनों से जुड़े राष्ट्रवादी विचारों के प्रेरक अरविन्द सिसोदिया के पाठ्यपुस्तक मंडल के शिक्षा प्रन्यास प्रन्यासी मनोनयन पर श्रीफल शॉल एवं माल्यार्पण के द्वारा अभिनन्दन किया गया और उन्हें स्वतंत्रता संग्राम में कालापानी की दो जन्मों की जेल भुगतने वाले वीर विनायक दामोदर सावरकर की तस्वीर भेंट की।

मंच के संरक्षक नन्दभंवर सिंह हाड़ा, अध्यक्ष हुकूमत सिंह झाला और सचिव अनुजदत्त शर्मा नें इस अवसर पर एक ज्ञापनपत्र सौंप कर राजस्थान की पाठ्यपुस्तकों में राष्ट्रवादी विचारों एवं भारतीय महापुरुषों और राजस्थान के महापुरुषों के शौर्य को कोर्स में पर्याप्त स्थान दिलाये जानें की मांग की। सिसोदिया नें उनके ज्ञापनपत्र को सरकार के समझ प्रभावी रूप से रखने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर नंदभँवर सिंह हाड़ा, हुकूमत सिंह झाला, अनुजदत्त शर्मा, नवदीप सिंह, ललित मीणा, डब्बू भाटी, राघव सिंह, रामलाल गुर्जर, बाबूलाल गुर्जर, अभिषेक, विनायक आदि मंच के पदाधिकारीयों नें माल्यार्पण कर अभिनन्दन किया।

पाठ्यपुस्तक मंडल के शिक्षा प्रन्यास प्रन्यासी मनोनयन पर अरविंद सिसोदिया का अभिनंदन किया गया।

एमएम शेख ने कार्यभार संभाला

कोटा, (निसं) । मोहम्मद मुस्तफा शेख ने पदोन्नति उपरांत बुधवार को सूचना एवं जनसम्पर्क कार्यालय कोटा में उप निदेशक के पद पर कार्यभार ग्रहण किया। इस अवसर पर सहायक निदेशक रचना शर्मा, सहायक जनसम्पर्क अधिकारी आकांक्षा शर्मा, सहायक प्रशासनिक अधिकारी श्री नितेन्द्र सिंह चौहान, वरिष्ठ सहायक राजेश गुर्जर, सूचना सहायक बृजबाला मीणा, सहायक कर्मचारी रणजीत सिंह, उपेन्द्र सैनी, हरीश तंवर, विजय मेघवाल ने शेख को पदोन्नति की बधाई एवं शुभकामनाएं दी। उल्लेखनीय है कि गत मंगलवार को शासन सचिवालय में विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित की गई थी। जिसकी अभिशंषा पर सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के 23 अधिकारियों को पदोन्नति प्रदान की गई है। इसमें अतिरिक्त निदेशक के 2, संयुक्त निदेशक के 3, उपनिदेशक के 9 एवं सहायक निदेशक के 9 पदों पर पदोन्नति की गई है।

कोटा में दीपिका गुर्जर ने लिया देहदान का संकल्प

कोटा, (निसं)। देहदान देने का निर्णय की उम्र का कोई बंधन नहीं होता। कोटा स्थित सरस्वती कॉलोनी बारां रोड़ दीपिका गुर्जर ने युवा होते हुए अपनी मृत्यु के बाद देहदान देने का निर्णय लिया है। मीडिया प्रभारी अंकित गुर्जर ने बताया कि दीपिका पेशे से चिकित्सा विभाग से जुड़ी हुई है। यह प्रेरणा उसे अपने गुरूजन, माता-पिता और समाज के लोगों से मिली है। जब वह चिकित्सा के क्षेत्र में शिक्षा ग्रहण कर रही थी तब उसे कई बार सुनने को मिलता था भावी चिकित्सकों को अध्ययन के लिए देह की आवश्यकता है।

अपने देश में देहदान का बहुत कम प्रचलन है। जब मैं छोटी थी तो मेने पढ़ा था लोरेंस नाइटेंगल नर्स के बारे में पढ़ा था और ये पूर्णत: मानव सेवा के लिए समर्पित थी और उनसे मैं बहुत प्रभावित हुई। मैंने मानव सेवा का निर्णय कर लिया था। मैंने 2007 से 2010 के समय मैने ये सकंल्प ले लिया था। पर सामाजिक और पारिवारिक जिम्मेदारियों की वजह से उस समय पूरा नहीं कर पाई। मैंने 2024 में अपने माता-पिता, समाज परिवार, गुरूजनों से इस विषय में फिर से चर्चा की और मेरे पिता रविरत्न गौड़ और माता राजेश्वरी गोचर दोनो ही शिक्षा विभाग से सेवानिवृत है ने मुझे इसकी सहमति प्रदान की। एचकेएस मेमोरियल के सहयोग से मैंने शाइन इंडिया फाउण्डेशन के डॉ. कुलवंत गौड़ से सम्पर्क किया। 8 जनवरी 2025 डॉ.कुलवंत गौड़ द्वारा मुझे देहदान का प्रमाणपत्र दिया और मानव जीवन के लिए भारत देश के भावी चिकित्सकों के निर्माण में सहायता मिले इससे ज्यादा खुशी की कोई बात नहीं होगी। बुधवार को गुर्जर समाज की युवतियों द्वारा दीपिका गुर्जर को अपने इस महान कार्य के लिए घर जाकर बधाई दी और गुर्जर समाज की पहली देहदान करने वाली महिला बनने और गुर्जर समाज के युवक-युवतियों को कम उम्र में अपनी देहदान करने की प्रेरणा मिली। इस अवसर पर हाड़ौती गुर्जर महिला जागृति मंच की गौरी गुर्जर, पवित्रा गुर्जर, खुशमिता गुर्जर, अंकिता गुर्जर, आदि उपस्थित थी।

कोटा कि दीपिका गुर्जर ने देहदान का संकल्प लिया।

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्याम बाबू गुप्ता पुत्र शांति स्वरुप गुप्ता के द्वारा श्रीमती सीमा श्रृंगी पुत्री राम स्वरुप श्रृंगी के मुख्तारआम की हेसियत से भूखंड संख्या 161, जी.एम.ए. टॉउनशिप ग्राम नान्ता कोटा पेमाइश 385 वर्गफुट को बेचने का इकरार किया गया है। उनके द्वारा यह भी जाहिर किया गया है कि उक्त मुख्तारनामाआम जो दिनांक 14.06.2014 को नोटरी पब्लिक कोटा द्वारा प्रमाणित है एवं निरस्त नहीं किया गया है तथा मुख्तारनामें में उन्हें विक्रय प्रतिफल प्राप्त करने, विक्रय पत्र का निष्पादन कर उसे पंजीयन कराने का अधिकार प्राप्त है। अतएव इस सूचना के द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति/संस्था/कम्पनी को राहुल सेठी द्वारा मुख्तारआम की हैसियत से किए जाने वाले इकरार/सौदे के बाबत एवं विक्रय प्रतिफल स्वयं के द्वारा प्राप्त करने के संबंध में कोई आपत्ति हो तो सूचना प्रकाशन के 7 योम की अवधि में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष लिखित आपत्ति प्रस्तुत करें। बाद गुजरने मियाद सूचना कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी। सूचित हो।

दिनांक : 15.01.2025

संदीप जैन एडवोकेट
583-ए तलवण्डी, कोटा
मो. 9829180432

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्याम बाबू गुप्ता पुत्र शांति स्वरुप गुप्ता के द्वारा श्रीमती रश्मी पत्नी जयप्रकाश के मुख्तारआम की हेसियत से भूखंड संख्या 160, जी.एम.ए. टॉउनशिप ग्राम नान्ता कोटा पेमाइश 385 वर्गफुट को बेचने का इकरार किया गया है। उनके द्वारा यह भी जाहिर किया गया है कि उक्त मुख्तारनामाआम जो दिनांक 06.06.2014 को नोटरी पब्लिक कोटा द्वारा प्रमाणित है एवं निरस्त नहीं किया गया है तथा मुख्तारनामें में उन्हें विक्रय प्रतिफल प्राप्त करने, विक्रय पत्र का निष्पादन कर उसे पंजीयन कराने का अधिकार प्राप्त है। अतएव इस सूचना के द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति/संस्था/कम्पनी को राहुल सेठी द्वारा मुख्तारआम की हैसियत से किए जाने वाले इकरार/सौदे के बाबत एवं विक्रय प्रतिफल स्वयं के द्वारा प्राप्त करने के संबंध में कोई आपत्ति हो तो सूचना प्रकाशन के 7 योम की अवधि में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष लिखित आपत्ति प्रस्तुत करें। बाद गुजरने मियाद सूचना कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी। सूचित हो।

दिनांक : 15.01.2025

संदीप जैन एडवोकेट
583-ए तलवण्डी, कोटा
मो. 9829180432

न्यायालय जिला एवं सेशन न्यायालय कोटा राजस्थान
CM 140/24

मुन्नी बाई पत्नी स्व. श्री रामचन्द्र उम्र 49 वर्ष जाति वाल्मिकी निवासी- बजरंगपुरा, शमशान रोड़, सकतपुरा, सकतपुरा कोटा राजस्थान ......प्रार्थीया

- बनाम -

(1) सोना बाई उम्र 42 वर्ष पत्नी स्व. श्री रामचन्द्र जाति वाल्मिकी (2) अश्वनी उम्र 25 वर्ष पुत्र स्व. श्री रामचन्द्र जाति वाल्मिकी (3) शिवानी उम्र 23 वर्ष पुत्री स्व. श्री रामचन्द्र जाति वाल्मिकी (4) राहुल उम्र 20 वर्ष पुत्र स्व. श्री रामचन्द्र जाति वाल्मिकी (5) अभिषेक उम्र 22 वर्ष पुत्र स्व. श्री रामचन्द्र जाति वाल्मिकी (6) इसिका उम्र 19 वर्ष पुत्री स्व. श्री रामचन्द्र जाति वाल्मिकी (7) प्रियंका उम्र 19 वर्ष पुत्री स्व. श्री रामचन्द्र जाति वाल्मिकी निवासीगण- बजरंगपुरा, शमशान रोड़, सकतपुरा, कुन्हाड़ी कोटा राजस्थान (8) नगर निगम कोटा उत्तर, कोटा राजस्थान (9) हर खास आम ......अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-372 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थीगण के द्वारा माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 372 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया है कि प्रार्थीया के पति मृतक नगर निगम कोटा में सफाई कर्मचारी के पद पर कार्यरत था। जिसकी जन्म तिथि 09.08.1972 एवं नियुक्ति तिथि 10.09.1991 थी। प्रार्थीया ने अपने पति स्व. रामचन्द्र के नाम से अप्रार्थी संख्या 8 के यहां उपाधान (ग्रेज्युएटी), पीएल, जीपीएफ जमा है। जिसमें ग्रेज्यूएटी राशि- 14,79,360/- रुपये अक्षरे चौदह लाख उन्यासी हजार तीन सौ साठ रुपये, पीएल राशि- 4,78,326/- रुपये अक्षरे चार लाख अठहत्तर हजार तीन सौ छब्बीस रुपये, जीपीएफ राशि- 8,32,710/- रुपये अक्षरे आठ लाख बत्तीस हजार सात सौ दस रुपये इस प्रकार कुल 27,90,396/- रुपये अक्षरे सत्ताईस लाख नब्बे हजार तीन सौ छियानवे रुपये है के सम्बन्ध में एकमात्र खाताधारक एवं स्वामिनी घोषित किये जाकर प्रार्थिया के पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी किये जाने के आदेश प्रदान करे। उक्त उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी करने के सम्बन्ध में किसी भी दिगर व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह माननीय न्यायालय के समक्ष समस्त दस्तावेजों सहित मय अधिवक्ता अथवा व्यक्तिगत रुप से दिनांक 18.02.2025 को पेश हो। अन्यथा प्रार्थी के पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी कर दिया जावेगा। उक्त सूचना पत्र आज दिनांक 09.01.2025 को मेरे हस्ताक्षर से एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया है।

मुद्रा

न्यायालय के आदेश से
वरिष्ठ मुंसरिम
जिला एवं सेशन न्यायालय, कोटा (राज.)

एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड
(ए शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक)
रजिस्टर्ड ऑफिस: 19-A, धुलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड़, जयपुर-302001 (CIN:L36911RJ1996PLC011381)

परिशिष्ट IV (देखें नियम 8 (1) कब्जा सूचना)

जबकि, अधोहस्ताक्षरकर्ता **एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड (ए शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक)** का प्राधिकृत अधिकारी होते हुए ''वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन [अधिनियम 2002 (2002 के नियम 54)]'' और प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियम 13 (12) का सपठित नियमों के नियम (3) के तहत प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में मांग सूचना दिनांक **17 अगस्त 2022** को निर्गमित की जिसमें माँग करते हुए ऋणी **नदीम (ऋणी), नईम खान (सह-ऋणी), नसीम बानो (सह-ऋणी), सलीम भाई (सह-ऋणी), अकिल (जमानतदार) (खाता संख्या: L9001060118205035)** से नोटिस में वर्णित **रुपये 803909/- (रु. आठ लाख तीन हजार नो सौ नौ मात्र)** की राशि इस नोटिस कि प्राप्ति कि दिनांक से 60 दिनों के भीतर चुकाने के लिये कहा गया था।

ऋणी/बन्धकर्ता के वह राशि लौटाने में विफल होने पर ऋणी/बन्धकर्ता को तथा समान्यजन को एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) तथा सपठित प्रतिभूतिहित प्रवर्तन नियम, 2002 के नियम 8 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में एतस्मिन नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा दिनांक 10 माह **जनवरी** वर्ष **2025** को अधिग्रहण कर लिया है।

ऋणी/सह-ऋणी/बन्धकर्ता को विशिष्टतया और सर्वसाधारण को सामान्यतया एतद् द्वारा सम्पत्ति के साथ व्यवहार नहीं करने की चेतावनी दी जाती है और सम्पत्ति के साथ कोई व्यवहार **रुपये रुपये 803909/- (रु. आठ लाख तीन हजार नो सौ नौ मात्र)** की राशि **दिनांक 17 अगस्त 2022** तक तथा आगे का ब्याज एवं कुल भुगतान होने तक की राशि एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड (ए शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक) के प्रभार के अधीन होगा।

ऋणियों का ध्यान प्रतिभूत आस्तियों के मोचन के लिये उपलब्ध समय के सन्दर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के उपबंधों की ओर आकृष्ट किया जाता है।

स्थावर सम्पत्ति का विवरण

सम्पत्ति के सभी अभिन्न अंग रिहायशी/गैररिहायशी भूमि, बिल्डिंग, स्ट्रक्चर एवं फिक्चर सम्पत्ति स्थित पट्टा न. 3309, 3310, संकल्प नं. 1, गांव-उदपुरा, वार्ड नं. 11, मोरक स्टेशन, तहसील-रामगंजमंडी, जिला-कोटा, राजस्थान, **क्षेत्रफल 362.22 वर्ग गज**, पूर्व: अशफाक का मकान, पश्चिम: रतन लाल का मकान व गली, उत्तर: रास्ता, दक्षिण: खुली भूमि जो कि **नदीम और नईम** के स्वामित्व में है।

दिनांक: 10 जनवरी 2025
स्थान : कोटा

प्राधिकृत अधिकारी
एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड

कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

क्रमांक-एफ11 विक्रय/2025/578 दिनांक 15.1.2025

नाम हस्तान्तरण चाहने बाबत आम सूचना

नगर विकास न्यास कोटा द्वारा भूखण्ड संख्या 212 मुकुन्दरा विहार आवासीय योजना में आवंटन पत्र क्रमांक 50 दिनांक 10.09.2015 को श्री बृजमोहन सुमन पुत्र श्री भैरूलाल सुमन के नाम आवंटन किया गया था। श्री बृजमोहन सुमन पुत्र श्री भैरूलाल सुमन द्वारा उक्त भूखण्ड का जर्ये मुख्तारआम श्री मोहन लाल अग्रवाल एवं श्री नीरज अग्रवाल पुत्र श्री ज्ञानचन्द अग्रवाल द्वारा जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 15.10.2024 को श्रीमती राधा बाई पत्नी स्व.श्री घनश्याम को विक्रय कर दिया गया है। अत: श्रीमती राधा बाई पत्नी स्व.श्री घनश्याम द्वारा उक्त भूखण्ड का स्वामित्व अपने नाम से नामहस्तान्तरण करने हेतु न्यास में आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

अत: जरिये आम सूचित किया जाता है कि यदि इस नाम हस्तान्तरण की स्वीकृति देने में किसी को भी कोई ऐतराज हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 7 दिवस के अन्दर अन्दर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा मियाद गुजरने के पश्चात उक्त भूखण्ड संख्या 212 मुकुन्दरा विहार आवासीय योजना का नाम हस्तान्तरण श्रीमती राधा बाई पत्नी स्व.श्री घनश्याम के नाम स्वीकृति जारी कर दी जावेगी।

उप सचिव, कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

क्रमांक:-एफ-15/कृ.भू.रू./2025/3165 **विज्ञप्ति** दिनांक:-15.1.2025

सर्व साधारण को जर्ये विज्ञप्ति सूचित किया जाता है कि ग्राम कोटडी में स्थित कृषि भूमि योजना नम्रता आवास खसरा नं. 275 में स्थित भूखंड संख्या 250 दक्षिणी भाग आवेदक/आवेदिका श्रीमती नीलू उर्फ नीलम गौतम पत्नी श्री ब्रजेश शाह निवासी मल्टीमेटल्स लिमिटेड कोटा द्वारा पट्टा में नाम परिवर्तन कराने हेतु प्राधिकरण कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत किया गया है। उक्त भूखंड का पट्टा क्रमांक 7109 दिनांक 02.02.2010 को नीलू गौत्तम पत्नी श्री ब्रजेश शाह के पक्ष में प्रस्तुत इकरारनामे के आधार पर जारी किया गया था। पट्टाधारी द्वारा आधार कार्ड, पास पोर्ट, बैंक पास बुक, राशन कार्ड एवं शपथ पत्र के आधार पर नीलू गौतम के स्थान पर नीलम गौतम करने हेतु निवेदन किया गया है।

अत: श्रीमती नीलू गौतम के स्थान पर श्रीमती नीलम गौतम पत्नी श्री ब्रजेश शाह के नाम परिवर्तन किये जाने में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो अन्दर 7 योम कार्यालय में उपस्थित होकर अथवा लिखित में अद्योहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें। मियाद गुजर जाने के बाद आपत्ति मान्य नही होगी।

उपसचिव कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

कार्यालय नगर निगम, कोटा (उत्तर)

क्रमांक:-न.नि.को.(उ.)/जोन-प्रथम/डी.टी.पी./2025/12446-47 दिनांक: 15.1.25

भू-उपयोग परिवर्तन बाबत् सार्वजनिक विज्ञप्ति

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदिका श्रीमती पुनम थदानी पत्नी श्री गिरधारीलाल थदानी निवासी-87 ब्लड बैंक के पास, बसन्त बिहार स्पेशल कोटा द्वारा छोटा तालाब गीता भवन रोड सब्जीमण्डी कोटा स्थित भूखंड क्षेत्रफल 2000 वर्गफीट का औद्योगिक से मास्टर प्लान भूउपयोग के अनुसार वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ भूउपयोग परिवर्तन चाहा गया है। उक्त भूखंड का आवंटन सिटी इम्प्रूमेन्ट ट्रस्ट कोटा द्वारा श्री मोहम्मद यासीन पुत्र श्री मोहम्मद बक्श के पक्ष में लकड़ी कारखाना (औद्योगिक) प्रयोजनार्थ आवंटित किया गया था। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक LSG/KOTA NORTH/MUT/2024-25/82587 दिनांक 28.05.2024 के द्वारा श्रीमती पुनम थदानी पत्नी श्री गिरधारीलाल थदानी के नाम हस्तान्तरित हो चुका है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन नगर निगम कोटा उत्तर में औद्योगिक से वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ भूउपयोग परिवर्तन की कार्यवाही की जा रही है।

अत: उपरोक्तानुसार भूखंड के औद्योगिक (लकड़ी कारखाना) से वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ भूउपयोग परिवर्तन बाबत किसी व्यक्ति/संस्था आदि या अन्य किसी को भी जो उक्त भूखंड से संबंध रखता हो को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति जारी होने के अधिकतम 15 दिवस की समयावधि में स्वयं की लिखित आपत्ति उप नगर नियोजक कक्ष, जोन-प्रथम, नगर निगम कोटा-उत्तर, कक्ष संख्या 321 राजीव गांधी भवन दशहरा मैदान कोटा के समक्ष प्रस्तुत करने का श्रम करें। उक्त निर्धारित समयावधि के पश्चात कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।

उप नगर नियोजक नगर निगम कोटा-उत्तर

राजस्थान आवासन मण्डल कोटा वृत्त कोटा

क्रमांक 4541 **जाहिर आम सूचना** दिनांक - 24.12.24

आवास संख्या 3-एफ-14 तलवण्डी कोटा का आवंटन मंडल द्वारा श्रीमती शान्ति बाई पत्नी श्री रामनारायण को किया गया था। इस आवास का नियमितिकरण श्रीमती कलावती बाई पत्नी श्री सुरेश कुमार के नाम दिनांक 22.01.1997 को किया गया। इस आवास का पंजीयन श्रीमती कलावती बाई पत्नी श्री सुरेश कुमार द्वारा दिनांक 05.02.1997 को अपने पक्ष में करवाया गया। पंजीयन उपरांत श्रीमती कलावती बाई पत्नी श्री सुरेश कुमार द्वारा उक्त आवास का बैचान जरिये विक्रय पत्र आलेखित कर दिनांक 29.12.2017 को डॉ. मनीष बाकलीवाल पुत्र श्री महावीर कुमार जैन एवं श्रीमती अनुपमा बाकलीवाल पत्नी श्री मनीष बाकलीवाल को संयुक्त रुप से किया गया। डॉ. मनीष बाकलीवाल पुत्र श्री महावीर कुमार जैन एवं श्रीमती अनुपमा बाकलीवाल पत्नी श्री मनीष बाकलीवाल का नाम दिनांक 02.07.2024 को विक्रय पत्र के आधार पर उक्त आवास के मंडल अभिलेख में संयुक्त रुप से दर्ज किया गया। तत्पश्चात डॉ. मनीष बाकलीवाल पुत्र श्री महावीर कुमार जैन एवं श्रीमती अनुपमा बाकलीवाल पत्नी श्री मनीष बाकलीवाल द्वारा उक्त आवास का बैचान जरिये विक्रय पत्र आलेखित कर दिनांक 05.08.2024 को श्री विकास कुमार जैन पुत्र श्री रामलाल जैन एवं श्रीमती नीलम जैन पत्नी श्री विकास कुमार जैन को संयुक्त रुप से किया गया। श्री विकास कुमार जैन पुत्र श्री रामलाल जैन एवं श्रीमती नीलम जैन पत्नी श्री विकास कुमार जैन द्वारा इस कार्यालय में प्रतिवेदन प्रस्तुत कर आवास संख्या 3-एफ-14 तलवण्डी कोटा को विक्रय पत्र के आधार पर अपना नाम आवास के मंडल अभिलेख में संयुक्त रुप से दर्ज करने हेतु आवेदन किया गया है।

अत: उक्त आवास के मंडल अभिलेख में विक्रय पत्र के आधार पर श्री विकास कुमार जैन पुत्र श्री रामलाल जैन एवं श्रीमती नीलम जैन पत्नी श्री विकास कुमार जैन के नाम संयुक्त रुप से दर्ज करने में किसी भी पक्षकार/व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो 15 दिवस के अन्दर इस कार्यालय को सूचित करें। अन्यथा यह मानते हुये कि उक्त आवास के मंडल अभिलेख में विक्रय पत्र के आधार पर श्री विकास कुमार जैन पुत्र श्री रामलाल जैन एवं श्रीमती नीलम जैन पत्नी श्री विकास कुमार जैन का नाम संयुक्त रुप से दर्ज किये जाने में किसी भी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ति नहीं है। उक्त आवास के मंडल अभिलेख में विक्रय पत्र के आधार पर श्री विकास कुमार जैन पुत्र श्री रामलाल जैन एवं श्रीमती नीलम जैन पत्नी श्री विकास कुमार जैन के नाम संयुक्त रुप से दर्ज कर दिया जावेगा।

उप आवासन आयुक्त राजस्थान आवासन मण्डल, कोटा वृत्त कोटा

राजस्थान आवासन मण्डल कोटा वृत्त कोटा

क्रमांक 4654 **जाहिर आम सूचना** दिनांक - 13.01.25

आवास संख्या 5/215 स्वामी विवेकानन्द नगर कोटा का आवंटन मंडल द्वारा श्री महिपाल सिंह गेमावत पुत्र श्री चुन्नी लाल गेमावत को किया गया था। श्री महिपाल सिंह गेमावत पुत्र श्री सी.एल. गेमावत के निवेदन पर उक्त आवास में इनके नाम के साथ इनकी पत्नी श्रीमती शांता गेमावत का नाम दिनांक 03.01.2005 को संयुक्त रुप से जोड़ा गया। इस आवास का पंजीयन श्री महिपाल सिंह गेमावत पुत्र श्री चुन्नी लाल गेमावत एवं श्रीमती शांता गेमावत पत्नी श्री महिपाल सिंह गेमावत के नाम दिनांक 19.02.2016 को अपने पक्ष में संयुक्त रुप से करवाया गया। मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर श्रीमती शांता गेमावत पत्नी श्री महिपाल सिंह गेमावत की मृत्यु दिनांक 18.06.2022 को हो चुकी है। इनकी मृत्यु उपरांत इनके वारिसानों में श्री संजय गेमावत पुत्र श्री महिपाल सिंह गेमावत एवं श्री महिपाल सिंह गेमावत पुत्र स्व. श्री चुन्नी लाल गेमावत द्वारा उक्त आवास में निहित अपने अविभाजित हिस्से का त्याग जरिये हक त्याग पत्र (रिलीज डीड) आलेखित कर दिनांक 04.02.2023 को श्रीमती आभा मोइत्रा पत्नी श्री दिपेन मोइत्रा पुत्री श्री महिपाल सिंह गेमावत के पक्ष में किया गया। इसी प्रकार इनके वारिसानों में श्री पंकज गेमावत की तरफ से उनके मुख्तारआम श्रीमती अनुराधा मित्रा गेमावत पत्नी श्री पंकज गेमावत द्वारा पंजीकृत रिलीज डीड श्रीमती आभा मोइत्रा पत्नी श्री दिपेन मोइत्रा पुत्री श्री महिपाल सिंह गेमावत के पक्ष में दिनांक 09.01.2025 को किया गया। इसी प्रकार श्री महिपाल सिंह गेमावत पुत्र स्व. श्री चुन्नी लाल गेमावत द्वारा उक्त आवास में अपने स्वामित्व के 1/2 हिस्से का उपहार जरिये उपहार पत्र (गिफ्ट डीड) आलेखित कर दिनांक 16.02.2023 को श्रीमती आभा मोइत्रा पत्नी श्री दिपेन मोइत्रा पुत्री श्री महिपाल सिंह गेमावत को किया गया। श्रीमती आभा मोइत्रा पत्नी श्री दिपेन मोइत्रा पुत्री श्री महिपाल सिंह गेमावत द्वारा इस कार्यालय में प्रतिवेदन प्रस्तुत कर आवास संख्या 5/215 स्वामी विवेकानन्द नगर कोटा का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन आवेदन पत्र, क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र, शपथ पत्र, घोषणा पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र हक त्याग पत्र (रिलीज डीड) एवं उपहार पत्र (गिफ्ट डीड) के आधार पर करने हेतु आवेदन किया गया।

अत: उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन आवेदन पत्र, क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र, शपथ पत्र, घोषणा पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, हक त्याग पत्र (रिलीज डीड) एवं उपहार पत्र (गिफ्ट डीड) के आधार पर श्रीमती आभा मोइत्रा पत्नी श्री दिपेन मोइत्रा पुत्री श्री महिपाल सिंह गेमावत के नाम करने में किसी भी पक्षकार/व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो 7 दिवस के अन्दर इस कार्यालय को सूचित करें। अन्यथा यह मानते हुये कि उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन श्रीमती आभा मोइत्रा पत्नी श्री दिपेन मोइत्रा पुत्री श्री महिपाल सिंह गेमावत के नाम किये जाने में किसी भी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ति नहीं है। उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन श्रीमती आभा मोइत्रा पत्नी श्री दिपेन मोइत्रा पुत्री श्री महिपाल सिंह गेमावत के नाम कर दिया जावेगा।

उप आवासन आयुक्त राजस्थान आवासन मण्डल, कोटा वृत्त कोटा